पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 78 / 17

अनवान :

1. राजेन्द्र पुत्र हरपत जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. महावीर पुत्र हरपत जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. विनोद पुत्र सावित्री पुत्री हरपत जाति जाट निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा।
2. राकेश पुत्र सावित्री पुत्री हरपत जाति जाट निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा।
3. भतेरी पुत्री हरपत जाति जाट निवासी घोटडा खालसा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नेठराना तहसील भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 खचवाना में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 डीपीएन के खाता सं० 10 / 6 के मु० न. 52 के किला न. 11 ता 25, मु० न० 60 के किला न. 1 ता 15, 18, 19 कुल 8.096 हैक्टर नहरी मय रास्ता व चक 2 बारानी के खाता सं० 5 / 4 के मु० न. 32 के किला न. 14, 15, 17 मु० न. 40 के किला न. 2 ता 9, 12 ता 18, 25 मु० न. 41 के किला न. 1, 2, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 7.742 हैक्टर बारानी मय रास्ता तथा चक 4 डीपीएन के खाता सं. 10 / 12 के मु० न 42 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 22 कुल 3.795 हैक्टर नहरी में प्रतिवादीगण 1 ता 3 का नाम कलमजन कर वादीगण 1 और 2 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ